**689** शिकायतें भेज चुकी हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 46 टीमें निरीक्षण में विभिन्न एजेंसियों को। इनमें सबसे अधिक शिकायतें मलबा डालने, खुले में कूड़ा, सड़कों की धूल और गड्ढों से जुड़ी हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 19 अक्टूबर 2019

**सख्ती** ▸ ईपीसीए की बैठक में राहत देने से किया इन्कार, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार से चार दिनों में एक्शन प्लान देने को कहा

# 21 तक जारी रहेगी एनसीआर में डीजल चालित जनरेटर पर रोक

**राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली**

एनसीआर के शहरों में डीजल जनरेटर पर रोक 21 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इन शहरों में जनरेटर पर रोक हटाने या जारी रखने पर 22 अक्टूबर को फैसला होगा। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण की शुक्रवार को इस बाबत हुई बैठक में राहत देने से इन्कार कर दिया। ईपीसीए ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार से चार दिनों में इस बाबत पूरा एक्शन प्लान देने को कहा है। इस बीच सीपीसीबी का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में पांच फीसद प्रदूषण की वजह डीजल जनरेटर हैं।

वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेप लागू होने के साथ ही 15 अक्टूबर से दिल्ली-एनसीआर में डीजल जनरेटर पर भी प्रतिबंध लग गया है। पिछले दो साल से एनसीआर के शहरों को छूट दे दी जाती थी लेकिन इस साल पहली बार उन्हें भी शामिल का लिया गया। समस्या यह है कि एनसीआर के शहरों में कहीं ग्रिड से बिजली का नेटवर्क नहीं होने तो कहीं अघोषित कटौती होने से परेशानी उत्पन्न हो रही है। इसीलिए हरियाणा सरकार और नोएडा प्रशासन की ओर से ईपीसीए अध्यक्ष भूरेलाल को पत्र लिखकर जनरेटर पर प्रतिबंध से छूट देने की मांग की गई थी। हरियाणा सरकार ने खासतौर पर इस प्रतिबंध को लागू करने में असमर्थता जताई थी। इसके बावजूद ईपीसीए ने किसी भी तरह की छूट देने से इन्कार कर दिया है। ईपीसीए के मुताबिक, दो साल तक एनसीआर को इस नियम से छूट दी गई है। अब तीसरे साल भी यह छूट नहीं दी जा सकती। इसलिए इन राज्यों से 22 अक्टूबर तक एक्शन प्लान मांगा है, जिसमें वह समय सीमा के साथ पूरा प्लान देंगे।

राजधानी में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए लोग बचने के लिए मास्क का सहारा ले रहे हैं। बाजार में 100 रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक का मास्क बिक रहा है। प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 50 लाख नि:शुल्क मास्क बांटने का फैसला किया है। सोमवार से दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से इसकी शुरुआत की जाएगी। जागरण

ईपीसीए को हरियाणा की तरफ से जानकारी दी गई कि राज्य के पास सरप्लस बिजली है। 11 हजार मेगावाट की मांग है और राज्य के पास 12500 मेगावाट बिजली है। इस बिजली से सभी कॉलोनियों और डीएलएफ साइबर सिटी में बिजली आपूर्ति की जा सकती है। गुरुग्राम में 100 किलोवाट की क्षमता वाले 5540, फरीदाबाद में 1833, सोनीपत में 753, पानीपत में 74 और बहादुरगढ़ में 17 डीजल जनरेटर सेट हैं। इनमें से 80 फीसद जनरेटर उद्योगों में बैकअप के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ईपीसीए के अनुसार, उन्हें जानकारी मिली है कि हरियाणा में हजारों प्लांट प्रोसेसिंग और मैन्युफेक्चरिंग के लिए बिजली का नहीं, बल्कि डीजल जनरेटरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तरफ से जानकारी दी गई कि उनके पास पर्याप्त बिजली है। अभी करीब 23 घंटे तक बिजली आपूर्ति की जा रही है। ईपीसीए ने कहा कि उसे जो रिपोर्ट मिल रही है, उसके मुताबिक बिजली कटौती की काफी शिकायतें आ रही हैं। 22 अक्टूबर को हरियाणा और उत्तर प्रदेश का एक्शन प्लान देखा जाएगा। उसके आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा।

### पिछले साल की तुलना में अधिक जल रही पराली

**नई दिल्ली** : हरियाणा और पंजाब सरकार के साथ-साथ केंद्र की ओर से भी पराली जलाने की घटनाओं में इस साल कमी आने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे परे है। पिछले साल की तुलना में पराली जलाने के मामलों में काफी वृद्धि हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, पंजाब और हरियाणा में पिछले साल की तुलना में इस बार काफी अधिक पराली जलाई जा रही है। ऐसे में जब भी हवाओं का रुख बदलेगा, दिल्ली की स्थिति काफी अधिक खराब होगी। आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल इन दोनों राज्यों में पराली जलाने के 1198 मामले सामने आए थे। इस बार अब तक 1631 मामले सामने आ चुके हैं। सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार, पराली जलाने में इस बार सबसे आगे अमृतसर है। दूसरे नंबर पर करनाल, तीसरे नंबर पर तरन तारन और चौथे नंबर पर कैथल है।

## वर्क फ्रॉम होम और कार पूलिंग की दी सलाह

**राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली**

दिल्ली-एनसीआर की निरंतर बिगड़ती हवा के मद्देनजर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने कॉरपोरेट और आइटी कंपनियों के कर्मचारियों को 'वर्क फ्रॉम होम' की सलाह दी है। सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों को कार पूल करने एवं सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करने के लिए कहा है। इसके अलावा स्कूलों को बच्चे घर से लाने और छोड़ने के लिए कहा गया है।

दरअसल, वायु प्रदूषण की स्थिति पर सीपीसीबी ने शुक्रवार सुबह टास्क फोर्स की बैठक रखी। इसमें मौजूदा स्थिति से बचाव और प्रदूषण की रोकथाम को लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा के बाद तीन बिंदुओं पर एडवाइजरी जारी करने का निर्णय हुआ। इसे स्वीकृति के लिए पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) को भेजा गया है। ईपीसीए इसे क्रियान्वयन के लिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार को भेजेगा।

सीपीसीबी के सदस्य सचिव डा. प्रशांत गार्गवा ने बताया कि सफर और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले दिनों में वायु प्रदूषण की स्थिति और खराब होगी। 23 अक्टूबर तक हवा की दिशा और गति पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। इस दौरान हवा खराब या बहुत खराब श्रेणी में रहेगी। सर्दियों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 13 हॉट स्पॉट बनाए गए हैं, यहां लोकल प्लान के हिसाब से काम किया जा रहा है। इसके अलावा 15- 15 दिन के पुर्वानुमान के लिए आइआइटी दिल्ली से करार किया गया है।

एडवाइजरी में कॉरपोरेट और आइटी सेक्टर की कंपनियों से अपील की गई हैं कि वे वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दें और कर्मचारियों को इसके लिए प्रोत्साहित करें। सरकारी विभागों और निजी कंपनियां कर्मचारियों को निजी गाड़ियों की बजाय सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने या कार पूल करने का सुझाव दें। सीपीसीबी के अनुसार गाड़ियों से निकलने वाला धुआं सर्दियों में प्रदूषण की बड़ी वजह है। स्कूलों को भी सलाह दी है कि वह बच्चों के लिए पर्याप्त बसों का इंतजाम करें।

## सड़कों पर धूल उड़ी तो जिम्मेदारों पर चलेगा मुकदमा

**राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली**

दिल्ली की सड़कों पर धूल उड़ने से प्रदूषण हुआ तो अब जिम्मेदार विभागों व अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।

गहलोत ने द्वारका सेक्टर-8 स्थित वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वैज्ञानिकों से वायु गुणवत्ता की निगरानी के तरीकों की जानकारी भी ली। उन्होंने डीपीसीसी द्वारा द्वारका में तय किए गए हॉट स्पॉट का निरीक्षण किया और वायु की खराब गुणवत्ता की स्थिति को सुधारने के लिए सेक्टर-8, 12, 14 और आसपास के स्थानों का भी जायजा लिया। मंत्री ने डीपीसीसी को निर्देश दिया कि वह धूल भरी सड़क की पहचान करके संबंधित एजेंसियों के जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमें दायर करने के लिए विशेष अभियान शुरू करें। उन्होंने एसडीएम को क्षेत्र का दौरा करने और उन स्थानों का पता लगाने का भी निर्देश दिया, जहां निर्माण और डंप कचरा डाला जाता है। साथ ही एसडीएम भूमि के मालिकाना हक वाली एजेंसियों के साथ मिलकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित जुर्माने की रकम भी तय करेंगे। गहलोत ने दक्षिणी नगर निगम को क्षेत्र में मैकेनिकल स्वीपिंग करने और व्यापक जल छिड़काव के भी निर्देश दिए। उन्होंने भारतीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान में स्थापित डीपीसीसी के सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन का दौरा किया। कहा कि दिल्ली में वास्तव में एक विश्वस्तरीय वायु गुणवत्ता निगरानी सेटअप है, जो रियल टाइम में हवा की गुणवत्ता का पता लगाने और सुधारात्मक कदम उठाने में सहायक है।

## मेरठ, पानीपत और सोनीपत पर भी रहेगी सीपीसीबी की नजर

**राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली** : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने भी दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से लड़ने के लिए कमर कस ली है। निगरानी के लिए 46 टीमें बनाई गई हैं। इसके साथ ही पहली बार मेरठ, सोनीपत व पानीपत जैसे शहरों में भी वायु गुणवत्ता मापने का निर्णय लिया गया है। यही नहीं, दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता की मौजूदा स्थिति के आकलन के लिए सीपीसीबी दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और तीनों नगर निगमों के साथ जल्द ही बैठक करेगा।

सीपीसीबी के मुताबिक सभी नोडल एजेंसियों से आग्रह किया गया है कि वे खुद के सोशल मीडिया हैंडल/अकाउंट बनाएं। इससे सीपीसीबी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो शिकायतें मिलेंगी, उन्हें संबंधित एजेंसी के सोशल मीडिया अकाउंट पर भेजा जा सकेगा। शिकायत पर हुई कार्रवाई की सूचना भी संबंधित एजेंसी से सीपीसीबी को मिल सकेगी। दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता बिगड़ने के साथ-साथ सीपीसीबी ने प्रदूषण से निपटने के लिए ऑनलाइन सक्रियता बढ़ाने सहित अन्य प्रयासों को तेज किया है। इसी दिशा में सीपीसीबी का केंद्रीय नियंत्रण कक्ष सक्रिय हो गया है। सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर के निवासी प्रदूषण से जुड़ी शिकायतें सोशल मीडिया, वेबसाइट, ई-मेल और चिट्ठियों के जरिये दर्ज करा सकते हैं।

### न्यूज गैलरी

#### विस अध्यक्ष के सचिव हुए झपटमारी के शिकार

**नई दिल्ली** : पश्चिम विहार वेस्ट थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के सचिव अजय रावल का मोबाइल फोन झपट लिया। घटना के समय वह पत्नी के साथ बाजार जा रहे थे। करीब सवा सात बजे पुलिस को मामले की जानकारी मिली। पुलिस ने अजय रावल के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर झपटमार की पहचान में जुटी है। अजय परिवार के साथ पश्चिम विहार वेस्ट के अंबिका विहार में रहते हैं। गुरुवार शाम वह पत्नी के साथ बाजार जा रहे थे। जब वह अंबिका विहार स्थित केंद्रीय विद्यालय के पास पहुंचे तभी पीछे से मोटरसाइकिल सवार तीन बदमाशों ने मोबाइल फोन झपट लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। (जासं)

#### एयरपोर्ट पर सोने के आठ बिस्कुट के साथ तस्कर धरा

**नई दिल्ली** : आइजीआइ एयरपोर्ट पर कस्टम ने विदेश से आए सोना तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसने जूते के अंदर सोने की बिस्कुट छुपा रखे थे। उससे 933 ग्राम भार के सोने के आठ बिस्कुट बरामद हुए हैं जिनकी कीमत 36 लाख रुपये से ज्यादा है। आइजीआइ एयरपोर्ट के वरिष्ठ कस्टम अधिकारी ने बताया कि घटना 15 अक्टूबर की है। दुबई से इंडिगो की उड़ान आइजीआइ एयरपोर्ट पर उतरी थी। इससे आया 37 वर्षीय संदिग्ध भारतीय एयरपोर्ट से बाहर निकलने की जुगत में लगा था। शक होने पर कस्टम अधिकारियों ने उसे दबोच लिया। तलाशी लेने पर पता चला कि उसने जूते के अंदर सोने के बिस्कुट छुपा रखे हैं। (जासं)

#### उनके घर में कुछ और ही ढूंढ रहे थे चोर : सत्येंद्र जैन

**नई दिल्ली** : स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राजधानी की कानून-व्यवस्था पर तंज कसते हुए केंद्र की भाजपा सरकार को घेरा है। स्वास्थ्य मंत्री जैन ने गत दिनों अपने सरस्वती विहार स्थित घर में हुई चोरी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी के साथ हुई लूटपाट की तो वारदात को दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे में सुलझा लिया। लेकिन मेरे घर में हुई चोरी के बारे में पुलिस को कोई सुराग तक नहीं मिला है। जैन ने कहा कि मेरे घर जो चोरी हुई थी वह चोरी नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल करने की कोशिश थी। (जासं)

## मारपीट के मामले में विस अध्यक्ष को छह माह की सजा सुनाई

**जागरण संवाददाता, नई दिल्ली**

वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेता व बिल्डर मनीष घई के घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल, उनके बेटे सुमित गोयल समेत पांच लोगों को छह-छह माह की सजा सुनाई है। सभी पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने सभी को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत की स्वीकृति दी।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कहा कि सभी आरोपितों के खिलाफ मामला साबित हुआ है। अदालत इस पक्ष में है कि इस मामले में सजा दिए जाने की जरूरत है। अदालत ने यह भी कहा कि राम निवास गोयल, सुमित गोयल, हितेश खन्ना, अतुल गुप्ता और बलबीर सिंह को भारतीय दंड सहिता की धारा 448 (मकान में जबरन घुसने) के तहत दोषी पाया गया है। अदालत ने सह आरोपित सुमित गोयल को आइपीसी की धारा 323 (चोट पहुंचाने) के तहत दोषी पाया।

> मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं और न्यायपालिका का सम्मान करता हूं। इस आदेश को चुनौती देने के लिए ऊपरी अदालत में अपील दायर करूंगा।
> **-राम निवास गोयल, विधान सभा अध्यक्ष**

राम निवास गोयल (74) ने अधिवक्ता मुहम्मद इरशाद के माध्यम से इस मामले में उन पर लगे आरोपों को खारिज किया था। स्थानीय बिल्डर मनीष घई की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके अनुसार उनके विवेक विहार स्थित घर में कुछ मजदूर काम रह रहे थे। छह फरवरी 2015 की रात उनके पास फोन आया कि गोयल और उनके समर्थक घर में जबरन घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। मजदूरों ने मना किया तो उनके साथ मारपीट की गई। आरोप है कि गोयल अपने बेटे और समर्थक के साथ मनीष के घर में यह कहते हुए घुसे थे कि चुनाव में बांटने के लिए उनके घर में शराब रखी गई है। घटना के बाद पुलिस ने घर का सामान जब्त कर रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी थी।

## चिड़ियाघर की निदेशक का हुआ तबादला

**जागरण संवाददाता, नई दिल्ली** : चिड़ियाघर में गुरुवार को एक युवक के बाड़े में कूदने की घटना के बाद पर्यावरण मंत्रालय ने निदेशक रेणु सिंह का तबादला मंत्रालय में कर दिया। रेणु वहां पर उपमहानिदेशक की जिम्मेदारी संभालेंगी। घटना वाले दिन ही नोटिस जारी कर रेणु सिंह से कार्यभार लेकर तुरंत सुनीश बख्शी को निदेशक के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। सुनीश ने शुक्रवार को पदभार भी संभाल लिया है। बख्शी एजीएमयूटी कैडर के वर्ष 1998 बैच के अधिकारी हैं।

निदेशक का तबादला चिड़ियाघर प्रशासन के अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। चिड़ियाघर में गुरुवार को युवक रेहान शेर के बाड़े में कूद गया था। रेणु सिंह के नेतृत्व में प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए युवक को सकुशल बाहर निकाल लिया था। प्रशासन के भीतर किसी को तबादले की बात पच नहीं रही है। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि वर्ष 2014 में विजय बाघ द्वारा मकसूद को मारने की घटना के बाद किसी भी अधिकारी पर गाज नहीं गिरी थी, लेकिन इस बार जब व्यक्ति को सुरक्षित बचा लिया गया है तब इस तरह का फैसला हैरान करने वाला है।

## बच्चों को मानसिक प्रताड़ना से बचाएं स्कूल : कोर्ट

**विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली**

बच्चों को स्कूल में हर तरह की प्रताड़ना से बचाने की जरूरत है। फिर चाहे व मानसिक हो या फिर शारीरिक। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नाजुक उम्र के बच्चों का बहुत खयाल रखने की जरूरत है। उक्त टिप्पणी हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति बृजेश सेठी की पीठ ने नारायणा विहार स्थित ज्ञान मंदिर पब्लिक स्कूल की बायोलॉजी की टीचर रितिका की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए की। शिक्षिका पर छात्रा को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप है। छात्रा ने खुदकशी कर ली थी। पीठ ने कहा कि छात्रा ने सुसाइड नोट में स्पष्ट तौर पर क्लास टीचर आरती व बायोलॉजी की टीचर रितिका का नाम लिखा था। गवाहों ने भी बयान दिया है कि रितिका ने छात्रा के लिए कड़वे व द्वेषपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हुए चरित्रहीन तक कहा था।

अग्रिम जमानत याचिका पर अपने फैसले में अदालत ने कहा कि जैसा कि पहले ही कहा गया कि इस तरह के शब्द मासूम बच्चे के दिमाग को आघात पहुंचा सकते हैं और इसी वजह से छात्रा ने खुदकशी करने जैसा गंभीर कदम उठाया। यह असंभव है कि छोटी उम्र की छात्रा बिना किसी कारण के अपनी शिक्षिका पर झूठा आरोप लगाएगी। अदालत की राय में प्राथमिक तौर पर याचिकाकर्ता पर आत्महत्या की धमकी का सीधा और गंभीर आरोप है और प्राथमिक तौर पर इन तथ्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सभी तथ्यों एवं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अदालत याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने से इन्कार करती है और उसकी याचिका खारिज की जाती है।

**बायोलॉजी की टीचर ने कहा था, जाओ और मर जाओ** : एक छात्रा ने अदालत में बयान दिया कि उसकी दोस्त ने उसे बताया था कि बायोलॉजी शिक्षिका रितिका ने उसे चरित्रहीन कहा था। जब उसने 30 नवंबर 2018 को पीड़ित छात्रा को खेलने के लिए कहा तो रोते हुए उसने बताया था कि बायोलॉजी की शिक्षिका ने उसे लैब में बुलाया और कहा कि तुम अपने परिवार का नाम खराब कर रही हो। जाओ और मर जाओ। छात्रा की मां ने भी बयान रिकॉर्ड कराते समय कहा था कि उनकी बेटी ने कई बार अपनी क्लास टीचर व बायोलॉजी की टीचर की शिकायत की थी कि वे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। स्कूल बदलने को भी कहती थीं।

▸ **मानसिक उत्पीड़न की आरोपित टीचर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की**

#### यह थी घटना

नारायणा विहार ई-ब्लाक स्थित ज्ञान मंदिर पब्लिक स्कूल में सातवीं में पढ़ने वाली छात्रा ने घर में फांसी लगाकर खुदकशी कर ली थी। छात्रा की मां तीस हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। आरोप है कि 30 नवंबर को घर आने के बाद छात्रा ने मां से कहा कि वह एक दिसंबर को स्कूल नहीं जाएगी। मां एक दिसंबर को अदालत गई और ट्यूशन टीचर को उसे टेस्ट की तैयारी कराने के लिए। जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी ट्यूशन के लिए नहीं गई तो वह घर पहुंचीं। घर अंदर से बंद था। उन्होंने जब दरवाजा तोड़ा तो अंदर कमरे में उनकी बेटी ने खुदकशी कर ली थी। उसने सुसाइड नोट लिखा था और हाथ पर भी लिखा था। उसने लिखा था कि उसकी मौत की खबर स्कूल तक जरूर पहुंचाना। पत्र में उसने क्लास टीचर आरती और बायोलॉजी टीचर रितिका का नाम लिखा था।

## दिवाली से पहले मुख्यमंत्री देंगे 100 और मोहल्ला क्लीनिक का तोहफा

**राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली**

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिवाली से पहले दिल्लीवालों को 100 और मोहल्ला क्लीनिक का तोहफा देंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल तिमारपुर के मोहल्ला क्लीनिक से इनका विधिवत उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दिल्ली में इनकी संख्या 302 तक पहुंच जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को इस संबंध में जानकारी दी।

सत्येंद्र जैन ने बताया कि अगले ढाई महीने में 200 और मोहल्ला क्लीनिक खोले जाने की तैयारी चल रही है। इसके बाद दिल्ली में इनकी संख्या 500 के पार हो जाएगी। पूरी दुनिया में दिल्ली एक मात्र ऐसा प्रदेश है, जहां पांच साल में तीन सौ से ज्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। इससे पहले दिल्ली में 70 साल के दौरान 250 ही स्वास्थ्य केंद्र खुले थे। उन्होंने बताया कि दिल्ली में एक हजार मोहल्ला क्लीनिक खोले जाने की योजना है। इसके लिए किराये पर जमीन देने के नियम को सरल किया गया है। अब 40 वर्ग मीटर जमीन पर मोहल्ला क्लीनिक खोलने की इजाजत दे दी जाएगी। इसमें एक शौचालय होना जरूरी होगा। पहले 60 वर्ग मीटर जमीन पर मोहल्ला क्लीनिक खोलने की इजाजत थी। साथ ही दो शौचालय होने जरूरी थे। सरकार चाहती है कि लोग आगे आएं और मोहल्ला क्लीनिक के लिए अपनी जगह दें। आठ से दस ऐसे लोग हैं, जिन्होंने मोहल्ला क्लीनिक के लिए दिल्ली सरकार को मुफ्त में अपनी जगह दी है। इनमें से छह पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सभी मोहल्ला क्लीनिक में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कुछ जगहों पर यह काम शुरू भी हो गया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मोहल्ला क्लीनिक में रोजाना 40 हजार से ज्यादा लोग इलाज करा रहे हैं, जो कि दिल्ली में प्रतिदिन ओपीडी जाने वालों की कुल संख्या का 20 फीसद है। मोहल्ला क्लीनिक में अब तक 1.69 करोड़ लोगों ने ओपीडी सेवा ली है। 16 लाख लोग टेस्ट करा चुके हैं। इनमें 75 फीसद लोग ऐसे हैं, जिन्होंने पहली बार सरकारी स्वास्थ्य सेवा का लाभ लिया है। मोहल्ला क्लीनिक की वजह से सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर लोगों का विश्वास बढ़ा है।

#### सब्जी मंडी, मेट्रो स्टेशन और बस स्टेशनों में भी मोहल्ला क्लीनिक

स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में तीन मेट्रो स्टेशनों व आजादपुर, गाजीपुर, नरेला, नजफगढ़ और ओखला समेत पांच सब्जी मंडियों में भी मोहल्ला क्लीनिक खोलने का काम चल रहा है। आइएसबीटी कश्मीरी गेट, आइएसबीटी आनंद विहार और सराय काले खां में भी मोहल्ला क्लीनिक खोले जाएंगे, जिन पर काम चल रहा है।

## जेवर एयरपोर्ट की बिड में अधिकतम छह कंपनियां ही होंगी सफल

**जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा**

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकनीकी बिड में अधिकतम छह कंपनियां ही सफल हो सकेंगी। फाइनेंशियल बिड में इनमें से एक कंपनी का अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। चयनित कंपनी एयरपोर्ट का निर्माण एवं संचालन करेगी। एयरपोर्ट के लिए अभी तक बीस कंपनियां बिड प्रपत्र खरीद चुकी हैं। हालांकि अभी तक एक भी कंपनी की ओर से बिड नहीं डाली गई है। बता दें कि बिड जमा करने की अंतिम तिथि तीस अक्टूबर है।

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर देश-विदेश की कंपनियों की निगाहें लगी हैं। बिड खरीदने वाली कंपनियों में से चार विदेशी कंपनियां हैं। देश की सभी प्रमुख कंपनियां भी जेवर एयरपोर्ट की बिड में रुचि दिखा रही हैं। इससे एयरपोर्ट की बिड को लेकर कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। छह नवंबर को तकनीकी बिड खुलेगी। नियमानुसार इसमें अधिकतम छह कंपनियां ही सफल हो सकती हैं। अगर बिड करने वाली कंपनियों की संख्या इससे कम रही तो सभी को फाइनेंशियल बिड में शामिल होने का मौका मिल जाएगा। वहीं, 29 नवंबर को फाइनेंशियल बिड खुलेगी।

> जेवर एयरपोर्ट की तकनीकी और फाइनेंशियल बिड नवंबर में खुलेगी। बिड प्रक्रिया तय समय के अनुसार पूरी की जाएगी।
> **-डॉ. अरुणवीर सिंह, सीईओ नियाल**

जेवर एयरपोर्ट से राजस्व बंटवारे को लेकर नई शुरूआत की जा रही है। प्रदेश सरकार व एयरपोर्ट का संचालन करने वाली कंपनी के बीच राजस्व का बंटवारा प्रति यात्री के हिसाब से किया जाएगा। इससे सरकार को फायदा होगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट के निर्माण एवं संचालन के लिए कंपनियां समूह बनाती हैं तो उन्हें बिड में शामिल होने से पहले इसे गठित करना होगा। इसके साथ ही निर्माण एवं रखरखाव के लिए वह किस कंपनी के साथ अनुबंध करेंगी, उसका उल्लेख भी बिड में करना होगा। देश में बने एयरपोर्ट की बिड में शामिल कंपनियों के लिए अभी तक यह सुविधा थी कि वे बिड में सफल होने के बाद समूह गठित या निर्माण एजेंसी का चयन कर सकती थीं। पहले से इसकी जानकारी देने की बाध्यता नहीं थी।

## मेट्रो के कारण क्षतिग्रस्त हो रहे मकानों को मुआवजा देने पर मांगा जवाब

**जागरण संवाददाता, नई दिल्ली** : मेट्रो के निर्माण और मेट्रो के आवागमन से होने वाले कंपन से जिन मकानों को क्षति पहुंची है उन्हें मुआवजा देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार व दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) से जवाब मांगा है। मुख्य पीठ ने नोटिस जारी करते हुए छह नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा। याचिकाकर्ता ने याचिका में निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में दिल्ली सरकार व संबंधित एजेंसियों को निर्देश देने की मांग की है।

मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने डीएमआरसी से कहा कि पीड़ित को मुआवजा देने के संबंध में अगर कोई नीति है तो इसे दर्शाती हुई रिपोर्ट पेश करें। मुख्य पीठ ने उक्त आदेश एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट की तरफ से दायर याचिका पर दिया। याचिका में दावा किया गया कि मेट्रो रूट पर पड़ने वाले घरों की दीवारों और दरवाजों में ट्रेन के चलने से होने वाले कंपन से दरारें आ चुकी हैं। याचिका में कहा कि दक्षिण दिल्ली में यह गंभीर समस्या बनी हुई है।

**योजना**

## नोएडा में बनेगा देश का दूसरा सबसे बड़ा हेलीपोर्ट

हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता चार एजेंसियों को मिल सकती है जिम्मेदारी, प्राधिकरण बनाएगा आठ हेलीपैड

**कुंदन तिवारी, नोएडा**

दिल्ली के बाद नोएडा में देश का दूसरा सबसे बड़ा हेलीपोर्ट बनने जा रहा है। इसका संचालन चार हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता एजेंसियां कर सकती हैं। नोएडा प्राधिकरण ने मास्टर प्लान 2031 में परियोजना को शामिल कर बोर्ड बैठक में मंजूरी दे दी है। सेक्टर-151ए में 10 एकड़ भूमि चिह्नित की गई है।

परियोजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर बनाई गई है। जल्द ही सलाहकार कंपनी का चयन होगा। इसके लिए रिक्यूवेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) जारी होगा, जो परियोजना को समझाने के लिए पूरी योजना का ब्ल्यू प्रिंट तैयार करेगा। इसमें प्राधिकरण की जमीन लागत निकालने के साथ-साथ सुविधा शुरू होने से होने वाली आय का पूरा लेखा-जोखा शामिल होगा। साथ ही नोएडा की प्रॉपर्टी इस परियोजना से कितना बूम कर सकती है और कितना नया निवेश होगा, इसका भी पता लग जाएगा। इसके बाद प्राधिकरण को परियोजना का खाका सौंपा जाएगा।

सांकेतिक फोटो

> हेलीपोर्ट के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। यह निवेश व पर्यटन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होगा। परियोजना पीपीपी मॉडल पर तैयार की जाएगी, जिसे हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां संचालित करेंगी।
> **-एससी गौड़, महाप्रबंधक, नियोजक/वास्तुकला, नोएडा प्राधिकरण**

बता दें कि देश में चार एजेंसियां हैं, जो हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करती हैं। इनमें पवन हंस व एसआइटीसी के अलावा दो अन्य शामिल हैं। पवन हंस का कार्यालय नोएडा सेक्टर-एक में है। सेक्टर-151ए स्थित हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उतरने के लिए आठ हेलीपैड बनाए जाएंगे। हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए केबिन बनाए जाएंगे। इनकी पार्किंग की व्यवस्था होगी। पहले चरण में योजना की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार हो रही है, जिसे क्लीयरेंस के लिए आइआइटी भेजा जाएगा। वहां से संस्तुति मिलने पर राज्य सरकार से मंजूरी ली जाएगी।

जहां पर हेलीपोर्ट बनाया जाएगा, उसे प्राधिकरण क्षेत्रीय पर्यटन की तर्ज पर विकसित करने जा रहा है। राजस्थान की चौखी ढाणी समेत शहीद भगत सिंह पार्क विकसित किया रहा है, ताकि लोग यहां पर आकर देश के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति से वाकिफ हो सकें।

**देश के हर कोने से होगी सीधी कनेक्टिविटी** : हेलीपोर्ट सेवा शुरू होने से देश के किसी कोने से शहर की सीधी कनेक्टिविटी होगी। हालांकि जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले से बन रहा है, जहां देश-विदेश से लोग आएंगे। ऐसे में निवेश व पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में प्राधिकरण ने यह कदम उठाया है। यहां से किसी भी समारोह के लिए आसानी से हेलीकॉप्टर किराये पर लिया जा सकेगा। साथ ही इसका प्रयोग सरकारी (वीवीआइपी) कार्यक्रमों के लिए भी किया जाएगा।

## ईस्टर्न-वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के लिए दिल्ली सरकार देगी 1,000 करोड़

**नई दिल्ली, प्रेट्र** : सुप्रीम कोर्ट ने वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सप्रेस-वे को लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार को कैबिनेट सचिव के साथ बात करके गतिरोध खत्म करने के लिए कहा है। साथ ही दिल्ली सरकार को परियोजना के लिए 1000 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश दिया है। बता दें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे गाजियाबाद, फरीदाबाद, गौतमबुद्धनगर (ग्रेटर नोएडा) और पलवल के बीच सिग्नल-फ्री कनेक्टिविटी की परिकल्पना पर आधारित है, जबकि वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे मानेसर के माध्यम से कुंडली को पलवल से जोड़ता है।

जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने यह आदेश संबंधित समिति द्वारा रखी गई रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए दिया है। इस रिपोर्ट में दोनों एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत के लंबित हिस्से का मुद्दा उठाया गया था। प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट की मदद कर रहीं वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रारंभिक लागत 844 करोड़ रुपये थी, जो बाद में बढ़कर 8,462.03 करोड़ रुपये हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 3,585.42 करोड़ रुपये पहले ही जमा किए जा चुके हैं जबकि 4876.61 करोड़ अभी जमा किए जाने हैं। एमिकस क्यूरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2005 में स्वीकार की गई कैबिनेट सचिव की रिपोर्ट में कहा गया था कि भूमि अधिग्रहण की लागत दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार 50:25:25 के अनुपात में वहन करेंगी। दिल्ली सरकार को इस मद में जहां 3,577.52 करोड़ रुपये जमा करने हैं, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार को 1,218.12 करोड़ रुपये जमा करने हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों एक्सप्रेसवे दिल्ली के लाभ के लिए हैं, क्योंकि इससे दिल्ली में यातायात को कम करने में मदद मिलेगी।

▸ **सुप्रीम कोर्ट ने उप्र, दिल्ली और हरियाणा को कैबिनेट सचिव के साथ बात करके गतिरोध खत्म करने को कहा**